संख्या-7/2026/163/002-12-5099-11-2025

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सोलर/749/पीएम-कुसुम/2025-26, दिनांक 02 फरवरी, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 113-कृषि इंजीनियरी, 06-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 50942.82 लाख के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में रू० 57.50 लाख (रूपये सत्तावन लाख पचास हजार मात्र) राज्यांश की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. यह धनराशि मात्र वेतन, भत्ते एवं आवश्यक अधिष्ठान मदों पर ही व्यय की जाय। कृषि निदेशक, उ0प्र0 यह सुनिश्चियत करेंगें कि समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जा रहा है।
2. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायितव रहेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार के गाइडलाइन/ दिशा-निर्देशों एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेन्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
7. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे मद में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
8. ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश का होगा।
9. जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति कृषि निदेशक, उ०प्र० व नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
10. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2401001130600 (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	04 यात्रा व्यय	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
2	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	08 कार्यालय व्यय	6,25,000 (रुपये छह लाख पच्चीस हजार मात्र)
3	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
4	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
5	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम)	42 अन्य व्यय	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		योजना		
6	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**57,50,000** **(रुपये सत्तावन लाख पचास हजार मात्र)**

महायोग	57,50,000 (रुपये सत्तावन लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-1-280-X-2025-26,** दिनांक 28 फरवरी, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-7/2026/163/002-12-5099-11-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर कृषि निदेशक (तिलहन एवं दलहन) / नोडल अधिकारी (पी0एम0कुसुम), कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।